

## छत्तीसगढ़ विधान सभा

### पत्रक भाग - दो

गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 (फाल्गुन 21, 1947)

### सभा के गर्भगृह में आने पर स्वयमेव निलंबन

आज गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2026 को अपरान्ह 12:27 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा के गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये :-

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. डॉ. चरण दास महंत             | 16. श्री इन्द्रशाह मण्डावी        |
| 2. श्री भूपेश बघेल              | 17. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी |
| 3. श्री कवासी लखमा              | 18. श्री विक्रम मण्डावी           |
| 4. श्रीमती अनिला भेंडिया        | 19. श्रीमती विद्यावती सिदार       |
| 5. श्री उमेश पटेल               | 20. श्री फूल सिंह राठिया          |
| 6. श्री लखेश्वर बघेल            | 21. श्री अटल श्रीवास्तव           |
| 7. श्री दलेश्वर साहू            | 22. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह    |
| 8. श्री भोलाराम साहू            | 23. श्री ब्यास कश्यप              |
| 9. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे   | 24. श्रीमती शेषराज हरवंश          |
| 10. श्री दिलीप लहरिया           | 25. श्रीमती चातुरी नंद            |
| 11. श्री रामकुमार यादव          | 26. श्रीमती कविता प्राण लहरे      |
| 12. श्रीमती अंबिका मरकाम        | 27. श्री इन्द्र साव               |
| 13. श्रीमती संगीता सिन्हा       | 28. श्री जनक ध्रुव                |
| 14. श्री कुंवर सिंह निषाद       | 29. श्री ओंकार साहू               |
| 15. श्रीमती यशोदा निलांबर वर्मा | 30. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल   |

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन अपरान्ह 12:34 बजे समाप्त किया गया।

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा